

प्रस्तुप-12

[नियम 19 और 20 देखिए]

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र

प्रेषिती -

रिटर्निंग आफिसर,
..... सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए.

महोदय,

मैं, विधान

सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा/लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत
डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में
संमाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की
निर्वाचक नामावली के भाग सं. में
क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(मेरा मोबाइल नं. है।) (अनिवार्य)
**नोट :- भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्देशानुसार निर्वाचन छ्यूटी में तैनात मतदान
कार्मियों को सुविधा केंद्र में ही डाक मतपत्र प्राप्त कर मतदान देना है। अतः डाक मतपत्र
मतदाता के पते में नहीं भेजा जावेगा।

स्थान

भवदीय

तारीख

शासकीय मुद्रणालय अटल नगर, रायपुर -